

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2015/ 7337-49 जयपुर,दिनांक: 8.6.15

जिला कलेक्टर,(सहायता)
जैसलमेर (राज0)।

विषय:- अभाव संवत् 2071 में खरीफ खराबा रिपोर्ट के आधार पर घोषित अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 6033 दिनांक 01.6.2015 के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ1(1)(4) आ.प्र.सआ/ सामान्य/ 2014/ 10908-44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 31.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है अभाव संवत् 2071 में अभावग्रस्त क्षेत्रों एवं गैर अभावग्रस्त में स्वीकृत पंजीकृत गौशालाएँ, जिनकी अवधि राज्य आपदा मोचन निधि में अनुमत 90 दिवस पूर्ण कर ली गई है उन पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ लेने की अनुशंसा पत्र दिनांक 01.06.15 के आधार पर एवं भारत सरकार के पत्रांक 32-3/2013-NDM-I दिनांक 28.11.2013 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के बिन्दु सं. 6(ii) के अनुसार अभाव संवत् 2071 में आपके जिले की निम्न पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु अनुदान जारी दिनांक से 30 जून 2015 तक स्वीकृत करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

क्र. सं.	तहसील का नाम	पंजीकृत गौशाला का नाम	गौशालाओं में संधारित पशुओं की संख्या		
			बड़े पशु	छोटे पशु	योग
1	खेतोलाई	श्री लक्ष्मी गौशाला खेतोलाई	270	30	300
			270	30	300

इसी अनुक्रम में निम्न दिशा-निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे:-

- अनुदान दर:-** गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं के बड़े पशु हेतु 50/- रुपये तथा छोटे पशु हेतु 25/- रुपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

